

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर

प्रारूप -6


सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

यह श्री दीप चन्द मूंदड़ा से0नि0 प्रधानाचार्य, राउमावि, तोपदड़ा, अजमेर जिनकी जन्मतिथि-03.01.52 है, और जो दिनांक-31.01.2012 को अधिवार्षिक आयु पूर्ण कर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त चुके हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री दीप चन्द मूंदड़ा से0नि0 प्रधानाचार्य, राउमावि, तोपदड़ा, अजमेर के विरुद्ध आज तक :-


1. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण) नियन्त्रण एवं अपील नियम-1958 के नियम 16 व 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/प्रस्तावित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण) नियन्त्रण एवं अपील नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/संस्था/ए-2-7/प्रपत्र-6/सेवा संतोषजनक/17 दिनांक-4/12/17

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1- संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, अजमेर।
- 2- उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।
- 3- जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, अजमेर।
- 4- प्रधानाचार्य, राउमावि, तोपदड़ा, अजमेर
- 5- श्री दीप चन्द मूंदड़ा से0नि0 प्रधानाचार्य, राउमावि, तोपदड़ा, अजमेर
- 6- सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
- 7- निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 58 (क) एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 28.12.98 एवं दिनांक 24.05.04 एवं प12(6)/वित्त/नियम/2008 जयपुर दिनांक 24.03.15 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र.सं	नाम कार्मिक मय कार्यरत स्थान	पद	जन्मतिथि	सेवा निवृत्ति तिथि
1	श्री सालगराम उपाध्याय, कार्यालय, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर	अतिरिक्त प्रशा. अधिकारी	05.12.1957	31.12.2017
2	श्री अशोक कुमार, कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर	अतिरिक्त प्रशा. अधिकारी	18.12.1957	31.12.2017
3	श्री सिंगराम, कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, चुरू	अतिरिक्त प्रशा. अधिकारी	12.01.1958	31.01.2018
4	श्री राम लाल, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बून्दी	अतिरिक्त प्रशा. अधिकारी	07.02.1958	28.02.2018
5	श्री दाउलाल, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जैसलमेर	अतिरिक्त प्रशा. अधिकारी	28.03.1958	31.03.2018

### प्रारूप-6

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध आज तक

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/अधीन नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


  
(नथमल डिबेल)

आई.एस.  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर  
दिनांक 05/12/2017

क्रमांक: शिविरा/सा/साप्र/बी-1/3104/2013-14/44

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. संबंधित, संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग
3. संबंधित, उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग
4. संबंधित, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) प्रथम/द्वितीय
- ✓ 5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
6. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक/निजी गार्ड पंजिका

  
अतिरिक्त निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर